

(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-11, खंड 3, उप खंड-(i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय उत्पद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

सं० 38/2017-सीमाशुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 13 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. (अ). सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 78/2014-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 16 सितंबर, 2014, सा.का.नि. सं. 655 (अ) दिनांक 16 सितंबर 2014 के तहत प्रकाशित, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करता है;

(i) उक्त अधिसूचना में, सारणी के क्रम सं. 3 और 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा; यथा :-

क्रम सं.	क्षेत्र	नामित अधिकारी		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“(3)	(i) संपूर्ण जम्मू और कश्मीर राज्य (सब फारेन पोस्ट ऑफिस श्रीनगर, एयर कार्गो काम्पलेक्स श्रीनगर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर को छोड़कर) (ii) पंजाब राज्य के, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारन, फिरोजपुर और फजिलका जिले के क्षेत्र।	आयुक्त, सीमाशुल्क, अमृतसर	अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क जो कि आयुक्त, सीमाशुल्क, अमृतसर के नियंत्रण में कार्य कर रहे हो।	उपायुक्त, या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जो कि आयुक्त, सीमाशुल्क, अमृतसर के नियंत्रण में काम कर रहे हो
(5)	(i) संपूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य (ii) संपूर्ण चंडीगढ़ संघ राज्य (iii) पंजाब राज्य, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारन, फिरोजपुर और फजिलका जिले को छोड़कर।	आयुक्त, सीमाशुल्क, लुधियाना	अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क जो कि आयुक्त, सीमाशुल्क, लुधियाना के नियंत्रण में काम कर रहे हो।	उपायुक्त, या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जो कि आयुक्त, सीमाशुल्क, लुधियाना के नियंत्रण में काम कर रहे हो”।

फा.सं. 434/15/2016-सीमा शुल्क-IV

(जेड.आर. कामिली)

निदेशक (सीमा शुल्क)

नोट: प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 78/2014 दिनांक 16 सितम्बर, 2014, सा.का.नि. 655 (अ) दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 114/2016, दिनांक 26 अगस्त, 2016, सा.का.नि. 821 (अ) दिनांक 26 अगस्त, 2016 के द्वारा संशोधन किया गया है।